राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांकःएफ 1/1(27)आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/रालोसेआ/2018 दिनांकः28.02.2019

::आदेश::

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राज., जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (6)प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 14.02.2019 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 के अन्तर्गत आयोग द्वारा दिनांक 16.07.2018 को जारी की गई आरक्षित सूची में से कार्यग्रहण नहीं करने वाले के विरूद्ध अधीनस्थ कार्यालय हेतु पिक अप किए गए 917 अभ्यर्थियों में से नियुक्ति देने के संबंध में मा. उच्च न्यायालय, जयपुर के SBC WP 16190/2018 योगेन्द्र कुमार कपूरिया व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दि. 10.09.2018 के यथास्थिति के स्थगन आदेश पारित किए गये हैं। मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेशों की अनुपालना में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम,1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में अभ्यर्थियों को तुरन्त प्रभाव से नियुक्ति हेतु आवंटित किया गया है।

अतः निम्नांकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर अस्थाई आधार पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक 14600/–रूपये प्रतिमाह पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में की जाती है। तत्पश्चात् परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 के पे–मेट्रिक्स लेवल–5 के अनुसार कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) का प्रारम्भिक वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगेः–

क्र. सं.	अभ्यार्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	रोल नं.	मेरिट नं. एवं श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	श्री विकास कुमार व्यास पुत्र श्री चम्पालाल व्यास वार्ड नं. 6, मु.पो. साहवा, तह. –तारानगर, जिला–चूरू, 331302	06.06.1994	500198	2552 (रिशफल लिस्ट, GENM)	जिला उद्योग केन्द्र, राजसमंद
2.	श्री आनन्द प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री शिवनाथ मिश्रा प्लॉट नं. 147, नियर डी.एस. साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, 322201	09.08.1988	796877	288 (रिजर्व लिस्ट, GENM)	मुख्यालय, जयपुर
3.	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री राधेश्याम गली नं. 5, शहीद उधम सिंह कॉलोनी, नजदीक गंगासिंह कॉलेज, केसरीसिंहपुर, तह.–श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर, 335027	06.06.1989	868705	309 (रिजर्व लिस्ट, GENM)	जिला उद्योग केन्द्र, हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

4.	श्री गौरव गर्ग पुत्र श्री अशोक कुमार गर्ग ग्रा.पो. पिनान, तह.–रैणी, जिला–अलवर, 301413	24.04.1992	122445	330 (रिजर्व लिस्ट, GENM)	मुख्यालय, जयपुर
5.	श्री कपिल गहलोत पुत्र श्री सतीश कुमार गहलोत 595, दिलीप नगर, लालसागर, जोधपुर, 342304	13.10.1988	651968	406 (रिजर्व लिस्ट, GENM)	जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर
6.	श्री मनीष सुथार पुत्र श्री ओम प्रकाश सुथार भानी माली की बाडी, नत्थूसर बास, वार्ड नं. 05, बीकानेर, 334004	30.09.1990	465711	782 (रिजर्व लिस्ट, OBCM)	जिला उद्योग केन्द्र, पाली

नियुक्ति की शर्तेः–

1. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व डी.बी. स्पेशल रिट संख्या 18/18 आयोग बनाम दिनेश कुमार महावर में दिनांक 05.03.18 को पारित निर्णय की पालना में दि. 28.04.2018 को घोषित परिणाम तथा एस.बी.सी.आर.पी.सं. 11497/2017 धारा सिंह गुर्जर व अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग में पारित अंतरिम आदेश दि. 19.07.17 व अन्य याचिका/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
2. यह नियुक्ति अस्थायी है। दो वर्ष की अवधि के लिए अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन काल पर रहेंगे। परिवीक्षाकाल में वार्षिक वेतन वृद्वि एवं कोई अन्य भत्ते देय नही होंगे।
3. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
4. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान देय नियत पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राज. राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अध्यधीन होगा।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

6. अभ्यर्थी द्वारा दहेज एवं विवाह संबंधी शपथ पत्र तथा दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।
7. विभाग को संबंधित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किये जायेगे।
8. कार्यग्रहण करवाते समय शैक्षणिक योग्यता, आयु (जन्मतिथि) व अन्य किसी छूट के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र/उच्च शिक्षा सहित) एवं प्रस्तुत प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर संबंधी) के प्रमाण पत्र की जांच उपस्थिति के समय मूल प्रमाण पत्रों से कर ली जावे एवं सत्य प्रतियां प्राप्त कर कार्मिक की निजी पत्रावली में रखी जावे। यदि किसी प्रमाण पत्र में कोई शंका हो तो मुख्यालय को अवगत करावें।
9. पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. अभ्यर्थी इस आदेश की प्राप्ति के 04 सप्ताह की अवधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
11. अभ्यर्थी की जन्मतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के आधार पर अंकित की गई है। जो अपरिर्वतनीय होगी।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
14. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

(कृष्णा कान्त पाठक)
आयुक्त, उद्योग

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

कमांकःएफ 1/1(27)आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/रालोसेआ/2018 दिनांकः 28.02.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप–2) विभाग, राज., जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कार्मिक विभाग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों में से 04 अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत होने के कारण उद्योग विभाग में कार्यभार ग्रहण में अपनी असमर्थता व्यक्त की हैं।
3. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर अनुभाग), मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, उद्योग (संस्थापन), मुख्यालय, जयपुर।
5. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग, केन्द्र, ...को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि आपके कार्यालय में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य किसी छूट के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने एवं नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तो की पूर्ति करवाने के पश्चात संतुष्टि करने के बाद ही कार्यग्रहण करावें। अभ्यर्थी का राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर का मूल आवेदन पत्र तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु मूल ही संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने की सूचना आवश्यक रूप से मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित अभ्यर्थी श्री.. को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित समयावधि में मुख्यालय, जयपुर/संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, के यहां अपनी उपस्थिति मूल दस्तावेजों एवं वांछित शपथ पत्रों सहित प्रस्तुत करें।

28/2/2019
(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)